(घ) इस कर्जों को कैसे निपटाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (यशवंत सिन्हा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दि. 31.03.1998 की स्थिति के अनुसार भारत ने विश्व बैंक से 13649.07 मिलियन अमरीकी डालर (6177.09 मिलियन अमरीकी डालर आई बी आरडी ऋण और 7471.17 मिलियन अमरीकी डालर आई डी ए कण) का ऋण लिया है। जिन परियोजनाओं के लिए ऋण लिया गया है उनका ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्र है [देखिए, परिशिष्ट 184, अनुपत्र संख्या 83] आईबीआरडी ऋणों की परिवक्ता अवधि 20 वर्ष है जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है और भारत को आई डी ए ऋण ब्याज मुक्त है, इनकी परिवक्ता अवधि 35-40 वर्ष है, जिसमें 10 वर्ष की छूट भी शामिल है तथा जिन पर 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगाया गया है। इस ऋण का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

"मूडी" द्वारा भारत की "रेटिंग" घटाया जाना

3001. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "मूडी" नामक एक अमरीकी संस्था ने निवेश के मामले में भारत की रेटिंग को "बी. ए. ए." से घटा कर "बी. ए. जेड." कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निहितार्थ क्या है और भारत में किए जाने वाले विदेशी पूंजी निवेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) मैसर्स मूडी की निवेशक सेवा ने भारत की दीर्घावधिक ऋण के लिए विदेशी मुद्रा की देश की अधिकतम सीमा और खकक 3 से ख क2 तक के नोटों में संशोधन किया है।

(ख) विभिन्न मापकों में क्रेडिट रेटिंग एक ऐसे मापक है जिससे विदेशी निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय लिये जाते हैं।

उत्पाद शुल्क के मामले

3002. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में अभी उत्पाद शुल्क संबंधी 50 हजार मुकदें चल रहे हैं और इनमें लगभग 50,000 करोड़ रुपये की धनराशि अन्तर्ग्रस्त है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मुकदमों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दन): (क) जी, नहीं। 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े लंबित मामलों की संख्या 7000 से कम थी तथा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन मामलों में लगभग 2050 करोड़ रुपये तक की ही राशि अंतर्ग्रस्त है।

(ख) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कई उपाय किये गये हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल है,

(i) समान विषय वाले लंबित मामलों को एक साथ मिलाना तथा इसके उपरांत ऐसे मामलों को शीघ्र सूचीबद्ध करने तथा सुनाई करने के लिए न्यायलयों से अनुरोध करना।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालयों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों की जानकारी देना ताकि समान विषय वाले मामलों केसंबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा शीघ्र निपटान के लिए कार्रवाई की जा सके।

(iii) मामलों को शीघ्र सूचीबद्ध करने तथा सुनवाई के लिए विधि मंत्रालय, इसके शाखा सचिवालय तथा केन्द्रीय सरकार केस्थायी अधिवक्ता के साथ बेहतर संपर्क बनाने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एंव सीमा शुल्क बोर्ड के स्तर पर तथा साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रत्येक आयुक्तालय के स्तर पर एक विशेष मुकदमेबाजी कक्ष क्रियाशील है।

Waiver of Loans to Punjab

3003. SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA: Will the Minister of FINANCE pleased to state:

(a) whether the Central Government have seen controversial reports in the press recently about waiving off the Central Loan to Punjab spent on curbing terrorism in the State;

(b) the present status of the loan as on date indicating whether the loan has totally/partially been waived off; and

(c) the relevant details in this regard?